

राजस्थान सरकार
राजस्व गृह-8 विभाग

क्रमांक/एफ 11/33/राज-8/77

जयपुर, दिनांक 21 मई, 1982

अधि-सूचना

2900

24/5/82

राज्यपाल यह घोषित करते हैं कि ग्रेट इण्डियन बस्टर्ड Great Indian Bustard गोजाक्या Choriotis Nigricops राजस्थान का राज्य पक्षी होगा। उक्त पक्षी वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, 1972 के उपबंधों के अधीन पूर्णतः संरक्षित है।

आदेश से
(Signature)
आनन्द मोहन लाल
राजस्व सचिव

Legal
ms
24/5/82

क०प०उ०

प्रतिलिपि :-

- 1- सचिव, राज्यपाल/मुख्य मंत्री, राजस्थान, जयपुर ।
- 2- निजी सचिव, समस्त मंत्री/राज्यमंत्री/उप मंत्री ।
- 3- समस्त शासन सचिव ।
- 4- महानिरीक्षक, पुलिस, राजस्थान, जयपुर ।
- 5- समस्त जिलाधीशा ।
- 6- मुख्य वन संरक्षक, राजस्थान, जयपुर ।
- 7- मुख्य वन्य जीव प्रोत्तिपालक, राजस्थान, जयपुर को विस्तृत प्रचार हेतु ।
- 8- निदेशक, पर्यटन, राजस्थान, जयपुर ।
- 9- सचिव, पर्यटन, वन्य जीव संयोजक, जयपुर ।



उप-शासन सचिव

प्रतिलिपि सचिव, कृषि मंत्रालय, कृषि एवं सहकारिता विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली को भी प्रेषित है ।



उप-शासन सचिव

एम0पी0बेरवा/10.5.82